न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना आर.ए.एस.

पील संख्या:-41/2022

ी.सी.एम.एस संख्या:-2022/74 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. प्रकाश दत्तक पुत्र सरिया जाति बैरवा
2. दिनेश पुत्र प्रकाश जाति बैरवा
3. रामराज पुत्र प्रकाश जाति बैरवा

निवासीयान पावण्डी तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण।

बनाम

1. बलराम पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी पावण्डी तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी।

उपस्थित:-

1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री हरिलाल बैरवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

-:निर्णय:-

दिनांक 30.12.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डार जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 14/2020 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवान बलराम बनाम प्रकाश वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस् मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डार के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम पावण्डी में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 34[illegible] है। जो प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसपर अप्रार्थीगण [illegible] ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.06.2022 को आदेश [illegible] करते हुए प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

82

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस् ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 341/144 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा बारानी ग्राम पावण्डी मे स्थित है। आराजीयात रामप्रसाद पुत्र कोरया बैरवा के नाम दर्ज जमाबन्दी रही है। उक्त भूमि को रामप्रसाद द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2019 के अनुसार रेस्पोडेन्ट को विकय कर दिया। लेकिन आराजीयात पर रामप्रसाद का और रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। खरीद के बाद अवैध तरीके से खसरा नम्बर 144 के 8 उपखसरा बनाकर तरमीम कर दी। रामप्रसाद बैरवा से रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पक्ष रजिस्टर्ड विकय कराने तक रेवन्यू नक्शें में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं थी रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी आदेश बिना सभी खातेदारों को सूचित किये ही रेवन्यू नक्शे में भूमि को अपनी बतलाकर 341/144 की तरमीम कराई गई। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 21.06.2022 निरस्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अपने भूमि आराजी खसरा नम्बर 341/144 को उसके पूर्व खातेदार रामप्रसाद बैरवा द्वारा अपीलांट प्रकाश को साझे-बांटे पर कभी नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट अपने खातेदारी के आधार पर अपीलांटगण के परिवार को संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को छीनने का प्रयास किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र रामप्रसाद पुत्र कोरया बैरवा से खरीदा है। रामप्रसाद ने अपीलांट प्रकाश को सांझे-बाटे पर काश्त करवाई थी। उक्त विवादित भूमि तरमीमशुदा है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर अपीलांटगण जबरन अतिक्रमण करना चाहते है। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 21.06.2022 को पारित निर्णय उचित फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकरन किया गया ।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन ... संवत् 2076-2079 ग्राम पावण्डी तहसील खण्डार आराजी खसरा नम्बर 341/144 रामप्रसाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पुत्र कोरया जाति बैरवा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी, जो नामान्तकरण संख्या 893 दिनांक 05.08.19 द्वारा प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

9. मौका कमिश्नर तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट दिनांक 29.03.22 के अनुसार विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगणका कब्जा नही है, और दूसरे पक्ष का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

10. अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निर्णय पारित किया गया है, जबकि "कब्जा" बाबत् मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर गौर ही नही किया गया।

11. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212 के निम्न 03 बिंदु निर्णयाक है.–
(1) प्रथम दृष्टया।
(2) सुविधा का संतुलन।
(3) अपूरणीय क्षति।

विवादित आराजीयात पर "कब्जा" रिपोर्ट मौका कमिश्नर के आधार पर कब्जा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का "वाद हेतु" दिनांक 29.03.22 को नहीं रहा जबकि अपीलांटगण का रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में "प्रथम दृष्टया" प्रकरण अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है। यदि अपीलांटगण को विधिक प्रावधानों के विपरीत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होगी, न कि रेस्पोडेन्ट को। 1995 आर.बी.जे. 475 में भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है।

12. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खण्डार के निर्णय दिनांक 21.06.22 बउनवान बलराम बनाम प्रकाश वगैरहा को निरस्त किया जाता है।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 30.12.2022 को सुनाया गया।

30.12.22

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner